



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1737]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2015/श्रावण 26, 1937

No. 1737]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/SHRAVANA 26, 1937

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

का.आ. 2238(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ.359(अ) दिनांक 30 मार्च, 1988, जिसे भारत के राजपत्र, (असाधारण) के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में-

- (i) उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-
“(क) प्रधान महानिदेशक, प्रधान मुख्य आयुक्त, महानिदेशक आयकर महानिदेशक (जांच) आयकर मुख्य आयुक्त (मध्य) आयकर महानिदेशक (आई एंड सी आई) और मुख्य आयुक्त, आयकर (छूट) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीनस्थ होंगे।”
- (ii) उपवाक्य (क) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
“(कक) महानिदेशक अथवा मुख्य आयुक्त ऐसे प्रधान महानिदेशक अथवा प्रधान मुख्य आयुक्त के अधीनस्थ होंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में वे कार्य करते हैं।”

[अधिसूचना संख्या 69/2015, फा. सं. 187/30/2014-(आयकर नि-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या का.आ. 359(अ), दिनांक 30 मार्च, 1988 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 मार्च, 1988 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 229(अ), दिनांक 21 मार्च, 1996 और का.आ.2813(अ), दिनांक 3 नवम्बर, 2014 और का.आ.संख्या 2913(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2004 के द्वारा संशोधन किया गया था।